कार्यवाही विवरण | क्रम

20.7.18

प्रार्थी पक्ष द्वारा निर्माण प्रस्ताव प्राप्त होने का बाबत कोई प्रार्थना पत्र नहीं आई। उपरोक्त निर्माण प्रस्ताव वार्ड 13 में अनुमति जारी की गयी। अतः वाद खारिज किया जाता है तथा [illegible] पर्चा [illegible] जारी हो पत्रावली [illegible] [illegible] होना [illegible] हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाब्ता दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दि० 20.7.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीना आर.ए.एस.
राजस्व लोक अदालत अभियान 2018–कैम्प ग्राम पंचायत पबाना

राजस्व वाद संख्या 217/2017
अब्दूल मजीद पुत्र गुलाम हुसैन जाति कसाई मुसलमान निवासी वार्ड नं. 9 मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–वादी

बनाम

1. अलाईदीन उर्फ सलामुदीन पुत्र गुलाम हुसैन
2. जाकिर हुसैन पुत्र मंगतू
3. साकिब हुसैन पुत्र मंगतू समस्त जाति कसाई मुसलमान निवासीगण वार्ड नं. 09 मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ
4. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणार्थ विभाजन रिकार्ड दुरूस्तीकरण व स्थाई निषेधाज्ञा
प्राथमिक–निर्णय

निर्णय दिनांक 01.06.2018

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पबाना में स्थित भूमि खाता सं0 233 के ख.न. 258 रकबा 1.25 है0 को आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। ख.न. 258 रकबा 1.25 है0 गुलाम हुसैन की कृषि भूमि थी। गुलाम हुसैन के चार पुत्र हुये क्रमशः मंगतू उस्मान गनी, अब्दूल मजीद, अलाईदिन उर्फ सलामुदिन है। गुलाम हुसैन की मृत्यु के बाद इनके पुत्रों को उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये मंगतू की भी मृत्यु दिनांक 06.10.2013 को हो चुकी है मंगतू के वारिस प्रतिवादीगण न. 2 व 3 हैं तथा उस्मान गन्नी की भी मृत्यु दिनांक 23.08.2012 को अविवाहित ही हो चुकी है। उस्मान गन्नी का जीवन पर्यन्त खर्चा वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 ने ही वहन किया है तथा उस्मान गनी का कोई विधिक वारिस नही है। उस्मान गन्नी के विधिक वारिस नही है। उस्मान गन्नी के विधिक वारिस वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 ही है तथा उस्मान गन्नी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में हजब किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 को दिया जाकर उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त इस प्रकार से किया जावे कि वादी का सम्पूर्ण भूमि में 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण नं. 2 व 3 का सम्पूर्ण भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज करवाने तथा विभाजन कवाने तथा अलग खाते की घोषणा करवाने के लिए उक्त दावा पेश करना आवश्यक हुआ। वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 ने उक्त कृषि भूमि को मौखिक रूप से 1/3, 1/3 हिस्से के अनुसार विभाजन कर रखा है परन्तु रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि शामलाती ही दर्ज है तथा उस्मान गन्नी का भी नाम रिकार्ड में दर्ज है जो कि अविवाहित ही फौत हो गया जिसका रिकार्ड में नाम हजफ किया जाकर उस्मान गन्नी के हिस्से की भूमि वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 को तथा प्रतिवादीगण नं. 2 व 3 को बराबर बराबर हिस्से में बांट कर राजस्व रिकार्ड में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगणनं. 2 व 3 का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा इसी अनुसार विभाजन किया जाकर अलग खाते की घोषणा किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मौके पर बंटी हुई कृषि भूमि पर कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी पैदा नही करे तथा किसी को विकय , रहन आदि नही करें। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का सुतुलन भी वादी के पक्ष में है। अगर प्रतिवादीगण अपनी नाजायज मंशा मे सफल हो गये तो वादी को इतना नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही होगी।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पबाना में स्थित भूमि ख.न. 258 रकबा 1.25 है0 स्थित है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण नं. 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी नं.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

2 व 3 का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे व उस्मान गन्नी का राजस्व रिकार्ड में नाम हजब किया जावे तथा विभाजन किया जाकर अलग अलग खाता कायम किया जावे एवं अलग अलग लगान कायम किया जावे।प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जब तक कृषि भूमि का विभाजन नही हो जाता रिकार्ड दुरूस्त नही हो जाता तब तक प्रतिवादीगण वादी के साथ लडाई झगडा नही करे वादी के हक व हिस्से की भूमि विक्रय पत्र तस्दीक नही करवाये मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाई रखें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत पबाना में पेश हुई। वादी, वकील वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित हुये। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 की और से इकबालिया जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद वादी वादी स्वीकार किया गया तथा वाद डिकी किये जाने में कोई एतराज नही होना वर्णित किया गया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम पबाना संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि ख.न. 258 रकबा 1.25 है0 की खातेदारी मंगतू उस्मान गनी अब्दूलमजीद अलाईदीन पि0 गुलाम हुसैन जाति कसाई मुसलमान सा. मुकुन्दगढ खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अधिशाषी अधिकारी न.पा. मुकुन्दगढ द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उस्मान गनी पिता गुलाम हुसैन व्यापारी की मृत्यु दिनांक 23.08.2012 को होना अंकित किया गया है। रजिस्ट्रार जिला कामरूप (असम) से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार रामतुल्लाह हुसैन इलियास मन्तु हुसैन पिता गुलाम हुसैन की मृत्यु 06.10.2013 को होना अंकित किया गया है। उस्मान गनी पिता गुलाम हुसैन को वादी व प्रतिवादीगण द्वारा अविवाहित फोत होना स्वीकार किया गया है तथा मन्तु हुसैन के वारिसान प्रतिवादी नं. 2 व 3 को बताया गया है। जिसकी इकबालिया जबाब में प्रतिवादीगण द्वारा पुष्टि की गई है। चूंकि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि है जिसका बंटवारा चाहा गया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चाहे गये अनुतोषानुसार प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उस्मान गन्नी पुत्र गुलाम हुसैन का नाम हजफ किया जाता है। ग्राम पबाना की भूमि ख.न. 258 रकबा 1.25 है0 का 1/3 हिस्से का वादी, 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नं. 1 तथा 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नं. 2 व 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये पक्षकारान की मौजूदगी में मुताबिक घोषित खातेदारी तथा कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर पालना प्रस्तुत की जावे। तदनुसार प्राथमिक पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय मजमे शिविर में दिनांक 01.06.2018 को सुनाया गया। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.06.2018 को पेश हो।

1/6/18 CA

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner